प्रेस नोट दिनांक 19.09.2023

(1). आज दिनांक 19.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 19.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 25 क्वार्टर देशी शराब व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की ।
(i). प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा मुख्य आरक्षी अरविन्द सोनू, आरक्षी नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा अभियुक्त शिवकेश निषाद पुत्र भइयालाल निषाद निवासी सुरवल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरघुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।
(ii). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी अभिषेक प्रताप द्वारा अभियुक्त बिट्टू उर्फ शिवकुमार केवट पुत्र दुलीचन्द्र केवट निवासी जैतपुर जनपद आगरा को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैंया श्री हारुन रशीद खान तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 2. मनोज गौतम पुत्र अवधेश गौतम 2. कल्लू पुत्र रामपाल यादव निवासीगण हनुआ सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 11 किलो हरा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 08,20(क,/25 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।
बरामदगी
11 किलो हरा गांजा
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1. चौकी प्रभारी सरैंया श्री हारुन रशीद खान
2. आरक्षी दुर्गेश यादव
3. आरक्षी रोहित यादव
4. आरक्षी चन्द्रभूषण राय

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र देवनाथ निवासी हरिशनपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 08,20(क,/25 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा
2. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी
3. आरक्षी बब्बू राजा
4. आरक्षी अमित सिंह
5. आरक्षी राहुल पुरी

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री नन्दराम तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त ऋषिराज उर्फ छोटा पटेल पुत्र सनद पटेल निवासी कैलाहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी बंदूक 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. 01 अदद देशी बंदूक 12 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री नन्दराम थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी हेमन्त साहू

(7). आज दिनाँक-19.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा मऊ में निर्माणाधीन फायर स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्माणाधीन आवासीय बिलंडिंग में बिजली, पानी एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन कर कार्यदायी संस्था के ठोकेदार को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राज कमल, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी, पीआरओ श्री गुलाब त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). आज दिनाँक-19.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा थाना मऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में रजिस्टरों का अवलोकन कर अद्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया तथा थाना कार्यालय, बन्दीगृह, मालखाना, cctns कार्यालय, बैरिक,भोजनालय, थाना परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई प्रभारी निरीक्षक मऊ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राज कमल, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी, पीआरओ श्री गुलाब त्रिपाठी एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सुबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह उनकी टीम के द्वारा अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र रामनिहोर पटेल निवासी मुकुंदपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-:

1.उ0नि0 शेलेन्द्र सिंह थाना भरतकूप

2. आरक्षी विकाश

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री रामसिंह एवं आरक्षी महेश्वररीदीन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, लैगिंक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश जनपद चित्रकूट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 62/018 धारा 354क,504,506 भादवि0 व 7/8 लैगिंक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 28.11.2018 को पीड़िता की माँ द्वारा थाना बहिलपुरवा में सूचना दी गयी कि कि उसका जेठ घर के सामने रहता है और आए दिन उसकी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी करता है। जब उसकी बेटी भाई बहनों के साथ सोने जाती है तो वह छुप कर देखता है। जिससे बेटी सो भी नहीं पाती है। इसी शिकायत करने पर आरोपी गाली गलौच करते हुए जाने से मारने की धमकी देता है। पीड़िता की माँ की सूचना पर मु0अ0सं0 62/018 धारा 354क,504,506 भादवि0 व 7/8 लैगिंक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना उपनिरीक्षक श्री शेषमणि त्रिपाठी द्वारा की गयी एवं आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 18.06.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आज दिनाँक 19.09.023 को पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित कान्हा सभागार में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। महोदया द्वारा सभी कर्मचारियों से उनको होने वाली समस्याओं के बारे में पूछा गया। जैसे कि यदि

1.अगर डयूटी के सम्बंध में कोई भेदभाव होता हो के बारे में पूछा गया।

2.महिला आरक्षियों से उनके तैनाती स्थान पर होने वाली समस्याए जैसे- शौचालय, पानी की उपलब्धता इत्यादि बारे में पूछा गया।

3.अगर पुलिस ऑफिस की किसी शाखा से कोई शिकायत हो के बारे में पूछा गया।

4.अगर जिन कर्मचारियों की नियुक्ति को एक ही स्थान पर 03 वर्ष हो गये है और वह अपना स्थानांतरण कराना चाहते है तो प्रार्थना पत्र दे। जिससे अन्यत जगह पर उनकी नियुक्ति की जा सके।

5.थानों में उपलब्ध न होने वाले संसाधनों एवं उनके विकास हेतु सुझाव मांगे गये।

सम्मेलन के पश्चात बैंक ऑफ बड़ौदा से आयी टीम द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज की जानकारी दी गयी और सभी को अपना खाता खुलवाने हेतु कहा गया।

सम्मेलन के दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित,स्टेनो पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा,प्रभारी आंकिक शाखा श्री शमसुद्दीन,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।